

कार्य मंत्रणा समिति  
(सत्रहवीं लोक सभा)

-----

पच्चीसवां प्रतिवेदन  
(30.11.2021 को प्रस्तुत)

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, 29 नवम्बर, 2021 को हुई

2. समिति ने कार्य की निम्नलिखित मदों के लिए प्रत्येक के सामने दर्शाए गये अनुसार समय के आवंटन की सिफारिश की है:-

- |     |  |                         |
|-----|--|-------------------------|
| (1) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 30 सितम्बर, 2021 को प्रख्यापित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए | 4 घंटे                  |
| (2) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए                      | 3 घंटे                  |
| (3) | भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार तथा पारित करना – अध्यादेश का स्थान लेने के लिए               | 3 घंटे                  |
| (4) | कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021<br><br>(विचार तथा पारित करना)   | एकमत राय नहीं बन<br>सकी |

नई दिल्ली;  
29 नवम्बर, 2021  
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

ओम बिरला  
सभापति,  
कार्य मंत्रणा समिति